न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 14 सन 2022
अनवान :–

1. गोपीराम पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 22/3/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 164/165 के खसरा न0 314/2 की 8.1460हैक खसरा न0 75 की 2.9850हैक खसरा न0 76/1 की 0.2270हैक कुल 11.3580हैक में से 2119/28395 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण गोपी पुत्र हनुमान दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम गोपीराम पुत्र हनुमान है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम गोपीराम पुत्र हनुमान दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 164/165 के खसरा न0 314/2 की 8.1460हैक खसरा न0 75 की 2.9850हैक खसरा न0 76/1 की 0.2270हैक कुल 11.3580हैक में से 2119/28395 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम गोपी वल्द हनुमान के स्थान पर गोपीराम वल्द हनुमान संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 164/165 के खसरा न0 314/2 की 8.1460हैक खसरा न0 75 की 2.9850हैक खसरा न0 76/1 की 0.2270हैक कुल 11.3580हैक में से 2119/28395 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण गोपी पुत्र हनुमान दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम गोपीराम पुत्र हनुमान है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम गोपीराम पुत्र हनुमान दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 164/165 के खसरा न0 314/2 की 8.1460हैक खसरा न0 75 की 2.9850हैक खसरा न0 76/1 की 0.2270हैक कुल 11.3580हैक में से 2119/28395 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम गोपी वल्द हनुमान के स्थान पर गोपीराम वल्द हनुमान संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाय में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 164/165 के खसरा न0 314/2 की 8.1460हैक खसरा न0 75 की 2.9850हैक खसरा न0 76/1 की 0.2270हैक कुल 11.3580हैक में से 2119/28395 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र सदुराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम गोमन्दराम पुत्र सदुराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम गोपी वल्द हनुमान दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /सरपंच की तस्दीक /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नही के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 164/165 के खसरा न0 314/2 की 8.1460हैक खसरा न0 75 की 2.9850हैक खसरा न0 76/1 की 0.2270हैक कुल 11.3580हैक में से 2119/28395 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम गोपी वल्द हनुमान दर्ज है के स्थान पर गोपीराम वल्द हनुमान जाति धानक निवासी मालिया संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 850 दिनांक :- 22/03/22

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 14 / 2022 अनवानी गोपीराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बंध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1 गोपीराम वल्द हनुमान जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 14 / 2022 अनवानी गोपीराम बनाम सरकार में दिनांक 22/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 164 / 165 के खसरा न0 314 / 2 की 8.1460हैक्ट खसरा न0 75 की 2.9850हैक्ट खसरा न0 76 / 1 की 0.2270हैक्ट कुल 11.3580हैक्ट में से 2119 / 28395 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम गोपी वल्द हनुमान दर्ज है के स्थान पर गोपीराम वल्द हनुमान जाति धानक निवासी मालिया संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner